न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर

उपस्थितः श्री सतेन्द्र कुमार. . . . . .(उच्चतर न्यायिक सेवा) UP1891,

(CNR.NO.UPSP010046162019)

सत्र परीक्षण सं0–1249/2024

राज्य .....प्रति.....अमन,

अमन पुत्र विनोद,
निवासी– जॉण्डखेडा, थाना–रामपुर मनिहारन, जिला–सहारनपुर।
मु0अ0 सं0–214/2023
धारा–307 व 506 भा0दं0सं0
थाना–रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।

राज्य के पक्ष से श्री सोनवीर सिंह–डी0जी0सी क्रिमिनल,
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता–श्री आशुतोष,

"निर्णय"

अभियुक्त **अमन** के विरूद्ध वर्णित अभियोग में थाना–रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित **आरोप–पत्र** के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर ने मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 05.07.2024 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया, जो सत्र परीक्षण संख्या–1249/2024 के रूप में पंजीकृत हुआ तथा अभियुक्त का विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है किः–

वादी मुकदमा **सतीश** पुत्र रामभज, निवासी ग्राम जाण्डखेडा, थाना रामपुर मनिहारन, जनपद–सहारनपुर द्वारा अभियुक्त अमन के विरूद्ध एक लिखित तहरीर, दिनांक 19.07.2023 को थाना रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर में इस आशय की दी गई किः–

"दिनांक 19.07.2023 को समय करीब 09:23 बजे शाम, मैं और मेरा लडका शेखर अपने घर के बाहर खडे थे, तभी मेरे गांव का लडका अमन आया और हमारे ऊपर जान से मारने की नियत से दो फायर किये, जिससे हम बाल बाल बचे और वह जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। अतः अमन के विरूद्ध रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त **तहरीर** के आधार पर अभियुक्त अमन के विरूद्ध थाना रामपुर मनिहारन, जनपद–सहारनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या–214/2023, अन्तर्गत

धारा–307 व 506 भा0दं0सं0 के अपराध में दिनांक 19.07.2023 को समय 22:35 बजे **प्रथम सूचना रिपोर्ट** पंजीकृत की गई तथा मुकदमें का खुलासा **कायमी जी0डी0 रपट सं0–78** दिनांकित 19.07.2023 में समय 22:35 बजे किया गया। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके **नक्शा नजरी** तैयार किया गया तथा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये तथा विवेचना पूर्ण करके अभियुक्त **अमन** के विरूद्ध धारा 307 व 506 भा0दं0सं0 के अपराध में **आरोप पत्र** न्यायालय में प्रेषित किया गया। अब न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेने के पश्चात् मामला सत्र विचारणीय पाते हुए सत्र सुपुर्द किया गया।

4. सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमन के विरूद्ध दिनांक 08.08.2024 को धारा 307 व 506 भा0दं0सं0 के अपराध में **आरोप विरचित** किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण एंव उनकी साक्ष्यिक भूमिका तथा साबित प्रदर्श प्रपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है –

साक्षी क्रमांक	साक्षी नाम	साक्षिक भूमिका	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
पी0डब्लू0–1	सतीश	वादी मुकदमा/तथ्य साक्षी	तहरीर	प्रदर्श क–1
पी0डब्लू0–2	शेखर	तथ्य साक्षी	————————	—————
पी0डब्लू0–3	जितेन्द्र कुमार	चिक लेखक	चिक एफ0आई0आर0 कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3
पी0डब्लू0–4	सौराज सिंह	तथ्य साक्षी	————————	———————
पी0डब्लू0–5	उ0नि0 आजाद सिंह	विवेचक	फर्द बरामदगी नक्शा नजरी **वस्तु प्रदर्श** 1. प्लास्टिक की डिब्बी 2. खोखा कारतूस	प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5 वस्तु प्रदर्श क–1 वस्तु प्रदर्श क–2 व 3
पी0डब्लू0–6	नि0 आनन्द पोसवाल	विवेचक	आरोप पात्र	प्रदर्श क–6

अभियोजन साक्ष्य

7. अभियोजन पक्षी की ओर से परीक्षित साक्षी **संख्या–1 सतीस(वादी मुकदमा)** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है किः–

अभियुक्त अमन ने उसके लड़के शेखर को गाली गफ्तार किया था, उसने अमन के पिता विनोद को इस की शिकायत की तो विनोद ने अमन को इस बात के लिए टाईट करने के लिए कहा, लेकिन अमन में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि अमन इस बात से नाराज हो गया। दिनांक 19.07.2023 को समय करीब 09:00 बजे साक्षी व उसका लड़का शेखर अपने घर के बाहर खड़े थे तो अमन उनके घर के बाहर आया और आते ही उसे व उसके बेटे शेखर पर दो फायर किये, इसके हाथ में तमन्चा था, इसने जानलेवा हमला किया लेकिन वे लोग बच गये। अमन फायर करने के बाद वहां से भाग गया। उसके छोटे लड़के ने फोन से पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर आ गयी तथा उसके घर के बाहर से ही खोखे बरामद कर लिये। घटना के बाबत उसने इस्लाम नगर चौकी में तहरीर दी थी। साक्षी ने **तहरीर** कागज **संख्या–4क/4** पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से **प्रतिपरीक्षा** की गयी तो उक्त साक्षी ने कथन किया कि घटना के समय अंधेरा था। घटना रात 9 बजे की है। अंधेरा होने के कारण फायर करने वालो को हम देख नहीं पाये थे। कथित घटना के समय मैं अंदर कमरे में था। फायर की आवाज सुनकर जब मैं बाहर आया, तब तक फायर करने वाले व्यक्ति मौके से भाग गये थे। मैंने मौके पर फायर करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। लोगों के बताये अनुसार मैंने अमन का नाम फायर करने वालों में लिखवाया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था और न ही मैंने दरोगा जी को कोई मौका मायना कराया। साक्षी को बयान 161 दं0प्र0सं0 पढकर सुनाया, जिसे सुनकर साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, मेरा यह बयान कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को घटना की बाबत सच व सही बयान दयिा हो और आज न्यायालय में जिरह में अभियुक्त के प्रभाव व दबाव के कारण गलत व झूठा बयान दिया हो।

8. अभियोजन पक्षी की ओर से परीक्षित साक्षी **संख्या–2 शेखर (पीडित)** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है किः–

दिनांक 19.07.2023 को रात के लगभग 09:00 बजे वह अपने घर से बाहर आया तो उसके ऊपर किसी ने जान से मारने की नीयत से दो फायर किये, जिससे वह बाल–बाल बचा। गोली चलाने वाला व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ भागा था। उसके पिता जी ने घटना की बाबत थाने पर मुकदमा लिखाया था। फायर करने वाले को अंधेरा होने के कारण वह पहचान नहीं पाया था। दरोगा जी ने घटना की बाबत उसके बयान नहीं लिया था।

अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर **प्रतिपरीक्षा** की गयी तो उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि घटना की बाबत मैंने विवेचक को बयान दिया हो। गवाह को धारा 161 सीआरपीसी का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, यदि विवेचक ने उक्त बाते मेरे बयान में लिख दी हैं, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 19.07.2023 को मैं व मेरे पिता अपने घर के बाहर खडे हों, उसी समय मेरे गांव का हाजिर अदालत मुलजिम अमन आया हो और हमें जान से मारने की नियत से हमार उपर फायर किया हो और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया हो। यह बात सही है कि मुलजिम अमन मेरे गांव व मेरी बिरादरी का है। यह कहना गलत है कि मुलजिम से साज करके, मैं आज उसे सजा से बचाने के लिए कानूनी परामर्श से गलत बयानी कर रहा हूं। मैंने आज जो बयान दिया है, वह बिना किसी दबाव के दिया है। मौके से कोई खोखा कारतूस नहीं मिला था।

9. अभियोजन पक्षी की ओर से परीक्षित साक्षी **संख्या–3 कां0 2250 जितेन्द्र कुमार (चिक लेखक)** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है किः–

दिनांक 19.07.2023 को उनके द्वारा थाना रामपुर पर बतौर कांस्टेबल क्लर्क कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.07.2023 को वादी सतीश की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 214/2023 अंतर्गत धारा 307, 506 भा0दं0सं0 बनाम अमन के विरूद्ध पंजीकृत किये जाने तथा उसका इन्द्राज जी0डी0 संख्या 78 दिनांक 19.07.2023 को समय 22:35 बजे पर किये जाने का कथन किया गया है। गवाह द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मुकदमें की चिक एफ.आई.आर. **कागज सं0 4क/1 ता 4क/3** को **प्रदर्श क–2** के रूप में तथा जी0डी0 सं० 78 **कागज सं0 7क/1** को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है।

10. अभियोजन पक्षी की ओर से परीक्षित साक्षी **संख्या–4 सौराज सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है किः–

ग्राम जानखेड़ा में उसकी 20–25 साल पुरानी परचून की दुकान है। दिनांक 19.07.2023 को वह अपनी दुकान पर नहीं था, रिश्तेदारी में गया था। विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था।

अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर **प्रतिपरीक्षा** की गयी तो उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि घटना की बाबत मैंने विवेचक को बयान दिया हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 19.07.2023 को रात के 9 बजे मैंने गांव के अमन को सतीश के घर पर तमंचे से फायर करते हुए देखा हो। यह कहना गलत है कि मेरा पुलिस को दिया गया बयान सच व सही हो और आज न्यायालय में दिया गया बयान झूठा हो। उक्त कथित दिनांक

कथित घटना के समय मैं गांव से बाहर गया हुआ था। अगले दिन वापस आया तो पुलिस ने मेरे कोरे कागज पर दस्तखत कराये थे।

11. अभियोजन पक्षी की ओर से परीक्षित साक्षी **संख्या–4 उपनिरीक्षक, आजाद सिहं** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है किः–

दिनांक 20.07.2023 को थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की चौकी इस्लामनगर पर बतौर चौकी प्रभारी कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.07.2023 को वादी सतीश की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–214/2023 धारा 307, 506 भा0दं0सं0 बनाम अमन पंजीकृत होने तथा विवेचना उसके सुपुर्द किये जाने एवं उसके द्वारा दिनांक 20.07.2023 को उक्त अभियोग की थाना कार्यालय से नकल रपट प्राप्त करने के उपरान्त बयान एफ0आई0आर0 लेखक कां0 जितेन्द्र कुमार, बयान वादी सतीश, बयान गवाह शेखर अंकित किये जाने, घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल से दो खोका कारतूस 315 बोर बरामद किये जाने, बरामद कारतूस को प्लास्टिक की डिब्बी में सील सर्वे मोहर करने एवं कारतूस की बरामदगी फर्द तैयार कर उस पर गवाही गवाहान कराये जाने तथा पत्रावली पर उपलब्ध **बरामदगी फर्द** कागज संख्या–5क को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क–4** के रूप में तथा पत्रावली पर उपलब्ध **कागज संख्या–8ख** घटनास्थल का **नक्शा नजरी** पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए नक्शा नजरी घ टनास्थल को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है। साक्षी द्वारा सील बंद प्लास्टिक की डिब्बी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या–214/2023 धारा 307,506 भा0दं0सं0 थाना रामपुर अंकित है तथा साक्षी के हस्ताक्षर अंकित है, डिब्बी को खोलने पर उसके अन्दर घटनास्थल से बरामद दो खोका कारतूस को साक्षी द्वारा सील सर्वे मोहर करने एवं प्लास्टिक की डिब्बी को **वस्तु प्रदर्श–1** तथा उसके अन्दर से निकले **खोका कारतूस** को क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–2** व **वस्तु प्रदर्श–3** के रूप में साबित किया है।

12. अभियोजन पक्षी की ओर से परीक्षित साक्षी **संख्या–4 निरीक्षक, आनन्द पोसवाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है किः–

दिनांक 21.08.2023 को थाना रामपुर मनिहारान पर बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत रहते हुए मुकदमा अपराध संख्या–214/2023 धारा 307, 506 भा0दं0सं0 की विवेचना, पूर्व विवेचक का स्थानान्तरण होने के कारण साक्षी को प्राप्त होने तथा उसी दिन साक्षी द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना ग्रहण कर, सी0डी0 नम्बर–6 किता किये जाने एवं पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी सी.डी. का अवलोकन कर उसका विवरण मूल सी0डी0 में किये जाने का कथन करते हुए सी0डी0 नम्बर–7 दिनांक 08.09.2023 को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश देने, सी0डी0 नम्बर–8 दिनांक 02.10. 2023 को गवाह स्वराज, कुलबीर के बयान अंकित किये जाने एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश

देने, सी0डी0 नम्बर–9 दिनांक 06.10.2023 को अभियुक्त अमन के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 प्राप्त करने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित किये जाने, सी0डी0 नम्बर 12 दिनांक 17.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय में अभियुक्त के द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र के आधार पर उसके विरूद्ध जारी एन0बी0डब्लू0 रिकाल किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किये जाने एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल केस डायरी में अंकित किये जाने, सी0डी0 नम्बर 13 दिनांक 03.11.2023 को अभियुक्त अमन के अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल केस डायरी में अंकित किये जाने, सी0डी0 नम्बर 14 दिनांक 04.11.2023 को अभियुक्त अमन के बयान अंकित किये जाने एवं सी0डी0 नम्बर–15 दिनांक 05.11.2023 को किता कर उसमें साक्षी द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर अभियुक्त अमन के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का कथन किया गया है। गवाह द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए **आरोप पत्र** को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है।

13. दिनांक 05.08.2026 को अभियुक्त **अमन** का कथन अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0संहिता अंकित किया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठे तथ्यों पर तहरीर दिये जाना बताते हुए अभियोजन साक्षी संख्या–1, 2, 3 व 5 के साक्ष्य के संबंध में झूठा व गलत बयान दिये का कथन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 के साक्ष्य के संबंध में कुछ नहीं कहने का कथन किया है तथा अभियोजन साक्षी सं0 6 के साक्ष्य के संबंध में गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का कथन किया है तथा मुकदमा लोगों के बहकावे में आकर गांव की पार्टीबाजी एंव गलत फहमी से चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया है।

14. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्कों को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व साक्ष्य का अवलोकन किया।

15. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में सतीश, शेखर व सौराज को परीक्षित कराया गया।

16. अभियेाजन साक्षी संख्या–**1 सतीश**, जो कि वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त अमन के द्वारा वादी मुकदमा व उसके पुत्र को जान से मारने की नियत से फायर किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का स्पष्ट कथन किया है जबकि **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने घटना के समय वह कमरे के अंदर था, रात का अंधेरा होने के कारण उसने किसी को नहीं देखा था, वादी ने

मौके पर फायर करने वाले को नहीं देखा था। लोगों के बतायेनुसार उसने अमन का नाम फायर करने वालों में लिखवाया था। साक्षी ने विवेचक को घटना के संबंध में बयान दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने से प्रकट होता है कि उसने अभियुक्त अमन की घटना में संलिप्तता के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया।

अभियोजन साक्षी संख्या–**2** **शेखर** जो कि उक्त घटना के घटना का पीडित साक्षी बताया गया हैं, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया घटना के समय अंधेरा होने के कारण उसने गोली चलाने वाले को नहीं देखा था। मुकदमा उसके पिता सतीश द्वारा लोगों के कहने पर अभियुक्त अमन के विरूद्ध लिखवाया था। यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त अमन द्वारा मेरे व मेरे पिता को जान से मारने की नियत से फायर किया हो और जान से मारने की धमकी देकर गया हो। अभियोजन साक्षी सं0 **4** **सौराज** जो कि घटना का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि गांव में उसकी परचून की दुकान है, वह घटना के दिन वह दुकान पर नहीं था, रिश्तेदारी में गया था। अतएव उक्त साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

17- इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण सतीश, शेखर सव सौराज के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य उद्भूत नहीं हुआ, जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त अमन ने वादी मुकदमा सतीश व उसके लडके पर जान से मारने की नियत से फायर किया हो और जान से मारने की धमकी दी हो और घटना को कारित करने में किसी भी प्रकार की सहभागिता की हो। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्त अमन घटना में संलिप्तता परिलक्षित हो।

परमजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य ए0आई0आर0 2011, पेज नं0 200 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

18- अतएव प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में अभियेाजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उद्भूत नहीं हुआ जिससे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व उसके लडके के उपर जान से मारने की नियत से फायर करने व जान से मारने की धमकी दिया जाना स्थापित हो। अतएव अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है।

19- इस स्तर पर यह तथ्य भी विचारणीय है कि क्या वादी मुकदमा **सतीश** द्वारा न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य प्रदान किया गया?

20- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत मामले की तहरीर **सतीश कुमार** द्वारा थाने पर प्रस्तुत की गयी, जिसमें उसने अभियुक्त द्वारा उसके व उसके लडके शेखर के उपर जान से मारने की नियत से फायर करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभिकथन किया गया हो। किन्तु अपनी मुख्य परीक्षा में **तहरीर** को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित करते हुए कहा कि उसने घटना के संबंध में थाने पर तहरीर दी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, किन्तु **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अभियुक्त अमन को मौके पर फायर करते हुए नही देखा था, उसने लोगों कहने पर व पार्टीबाजी की वजह से अतिभयुक्त अमन नाम तहरीर में लिखवाया था। वादी मुकदमा के लिए यह आवश्यक था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने से पूर्व घटना के समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही अभियुक्त अमन के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाती।

21- अतः वादी मुकदमा सतीश_के साक्ष्य के परिशीलन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने दौरान साक्ष्य न्यायालय के समक्ष शपथ पर परस्पर विरोधाभाषी कथन करते हुए मिथ्या साक्ष्य दिया है।

22- राज्य बनाम संजीव नन्दा 2013(1) सी0सी0एस0सी0 पेज–188, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम एन0सी0टी0 दिल्ली राज्य 2010(6) एस0सी0सी0 पेज–01, जाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2006 पेज–1367 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि न्यायालय वास्तविकता के प्रति अपनी आंख बंद नहीं कर सकता है। यदि साक्षी न्यायिक प्रक्रिया को विकृत करने के लिए पक्षद्रोही होता है, तो न्यायालय बतौर मूक दर्शक नहीं रहेगा। सत्य को साबित करने का प्रत्येक प्रयास किया जाना ही चाहिए। अतः दाण्डिक न्याय प्रणाली को उन अपवंजक साक्षियों द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, जो कि प्रतिफल, दबाव, उत्प्रेरणा या अभित्रास के अधीन काम करते हैं। ऐसे साक्षी के विरूद्ध समुचित विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

23- इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–1 **सतीश**, जो कि वादी मुकदमा है, के आचरण से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा अभियुक्त को बचाने अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किन्हीं कारणोंवश जानबूझकर न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। अतः न्यायालय के विचार से वादी मुकदमा/साक्षी सतीश को मिथ्या साक्ष्य दिये जाने से धारा 344 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत नोटिस दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

24- अतः मामले के तथ्यों एंव परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त **अमन** के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–307 व 506 भा0दं0सं0 की आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतएव अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त **अमन** को **अपराध संख्या–214/2023, अं0 धारा–307 व 506 भा0द0संहिता,** थाना रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर के आरोपों से **संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता हैं।**

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानत प्रपत्रों एवं बन्धपत्रों को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अधीन प्रस्तुत जमानत पत्र एवं बन्धपत्र 06 माह तक वैध रहेंगे।

वादी मुकदमा/साक्षी **सतीश** के विरूद्ध दाण्डिक प्रकीर्ण वाद दर्ज करके न्यायालय के समक्ष साशय मिथ्या साक्ष्य दिये जाने हेतु दं0प्र0सं0 की धारा–344 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–27.08.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर
I.D.UP-1891

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

दिनांकः–27.08.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर
I.D.UP-1891

ΨAJAY SINGHΨ
STENOGRAPHER